101

राजस्थान सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी

(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel.2227725)

क्रमांक:-F 61 (32) SSAAT/Bud.Grant/2020/ 8037-45 दिनांक 8/7/2020

कार्यालय आदेश

महात्मा गांधी नरेगा योजना हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम-3 के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष- आयुक्त एवं शासन सचिव, ग्रामीण विकास द्वारा राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारण्टी परिषद के आदेश क्रमांक एफ 10(1)RD/NREGA/Esstt./2010 दिनांक 18.12.2014 में अतिरिक्त आयुक्त-प्रथम, ई.जी.एस को कार्यालयाध्यक्ष एवं आदेश क्रमांक एफ 10(1)/ग्रा.वि./नरेगा/कार्य विभा./2010 दिनांक 18.12.2014 में आहरण एवं वितरण अधिकारी परियोजना अधिकारी ई.जी.एस श्री पी.के. रावत को घोषित किया गया है।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पूर्व मे कार्यरत निदेशालय सामाजिक अंकेक्षण के स्थान पर सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का गठन कर नवीन बजट मद खोले गये है जिनमें भारत सरकार से राशियां प्राप्त होती हैं/होंगी।

अतः ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के खण्ड महात्मा गांधी नरेगा द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार को प्राप्त अन्य सहायतार्थ अनुदान राशि बजट मद 2505-02-101-02-01-12 एवं 2505-02-101-02-01-92 में प्रावधानों में से राशियाँ आहरण कर सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी(SSAAT) के बैंक खाता संख्या 38872762396, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सचिवालय शाखा जयपुर में जमा कराने हेतु श्री पी.के. रावत, परियोजना अधिकारी, ई.जी.एस को आहरण एवं वितरण अधिकारी की शक्तियां प्रदान की जाती हैं।

यह स्वीकृति अतिरिक्त मुख्य सचिव (ग्रा.वि एवं प.रा.) सह अध्यक्ष कार्यकारी समिति, SSAAT की आई.डी. नं. 2287 दिनांक 24.06.2020 से प्राप्त अनुमोदन के अनुसरण में जारी की जाती है।

(पी.सी. किशन)
आयुक्त
राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारण्टी परिषद
शासन सचिवालय जयपुर

दिनांक 8/7/2020

क्रमांक:-F 61 (32) SSAAT/Bud.Grant/2020/ 8037-45

प्रतिलिपि:-निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव (महात्मा गांधी नरेगा), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके संदर्भित स्वीकृति के क्रम में प्रेषित है।
2. निदेशक, वित्त (बजट), शासन सचिवालय जयपुर।
3. संयुवत शासन सचिव, वित्त (व्यय-5), विभाग जयपुर ।
4. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर ।
5. अतिरिक्त आयुक्त- प्रथम ई.जी.एस।
6. परियोजना निदेशक एवं संयुवत शासन सचिव, ई.जी.एस।
7. परियोजना अधिकारी, ई.जी.एस को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त-(प्रथम)
(ई.जी.एस)